



हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University
श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)-246174
Srinagar Garhwal (Uttarakhand) - 246174
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University)

पत्रांक : हे0न0ब0ग0वि0वि0/परीक्षा/2026/314

दिनांक : 09/10/2026

अधिसूचना (314)

एतद्वारा विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक-09-06-2026 को सक्षम प्राधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक के क्रम में निम्नलिखित प्रावधान लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है-

एजेंडा नं0-01 (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में मूल्यांकन पद्धति में संशोधन)-राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अन्तर्गत संचालित सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2026-2027 से सतत मूल्यांकन/सत्रीय परीक्षा (आन्तरिक मूल्यांकन) तथा सत्रांत मूल्यांकन (बाह्य परीक्षा) के अंकों का वितरण 30:70 के अनुपात में किया जाएगा। उक्त संशोधित मूल्यांकन पद्धति शैक्षिक सत्र 2026-2027 एवं उसके पश्चात् स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्र-छात्राओं पर लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है तथापि उक्त संशोधित मूल्यांकन पद्धति शैक्षिक सत्र 2025-2026 अथवा उससे पूर्व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्र-छात्राओं पर लागू नहीं होगी, उन पर उनके प्रवेश के समय प्रभावी मूल्यांकन पद्धति ही लागू रहेगी।

एजेंडा नं0-03 (आन्तरिक/सत्रीय मूल्यांकन में अनुपस्थित रहने वाले छात्र-छात्राओं हेतु पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने का प्रावधान)-छात्र-छात्राओं के शैक्षिक हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के किसी भी सेमेस्टर की आन्तरिक/सत्रीय परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले छात्र-छात्राओं को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् आगामी किसी भी सम/विषम सेमेस्टर की सम्बन्धित श्रेणी की आन्तरिक/सत्रीय परीक्षा में पुनः सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान किये जाने का निर्णय लागू किया गया है।

यह प्रावधान केवल आन्तरिक/सत्रीय परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले छात्र-छात्राओं पर ही लागू होगा। इसे आन्तरिक/सत्रीय परीक्षा में पूर्व में प्राप्त अंकों में सुधार (Improvement) के अवसर के रूप में नहीं माना जाएगा।

(Signature)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जनसम्पर्क अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान/अमर उजाला/शाह टाइम्स/राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/परिसर निदेशक पौड़ी/टिहरी परिसर।
3. समस्त प्राचार्य/निदेशक सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान।
4. प्रभारी, डाटा प्रोसेसिंग केन्द्र/प्रोगामर।
5. अधिष्ठाता (शैक्षणिक)
6. सिस्टम मैनेजर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देने का कष्ट करें।
7. निजी सचिव कुलसचिव, कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
8. सहायक कुलसचिव, कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति महोदय जी के सादर सूचनार्थ।

(Signature)
09.10.2026
परीक्षा नियंत्रक